भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3108**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक

3108. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय बाजार में नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की व्यापक उपस्थिति पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो इस मामले पर किए गए किसी भी रिपोर्ट/अध्ययन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में नकली और घटिया उर्वरकों की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई/उपाय किए गए/किए जाने का विचार है;
(घ) देश में ऐसे उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विनियामक उपायों, प्रवर्तन कार्रवाइयों और अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या इन नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में किसानों या कृषि हितधारकों से कोई शिकायत/रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार के पास विनियामक ढांचे को मजबूत करने और बाजार में उर्वरकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में सुधार करने के लिए कोई योजना/रणनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन निर्धारित किए गए हैं। कोई भी उर्वरक, जो उक्त विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है, को कृषि प्रयोजन के लिए देश में नहीं बेचा जा सकता है। एफसीओ के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री अथवा उत्पादन का कड़ाई से निषेध किया गया है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। नकली/घटिया/मिलावटी उर्वरकों की किसी भी प्रकार की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दंडनीय है।

इसके अलावा, उर्वरकों का गुणवत्ता नियंत्रण राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य में नकली उर्वरकों की बिक्री को विनियमित करने के लिए, फील्ड स्तर पर जागरूकता और सतर्कता के लिए एक जिला गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है तथा प्रेस नोट, टीवी वार्ता, किसान गोष्ठी, कृषि मेला, कृषि महोत्सव आदि के माध्यम से नियमित रूप से किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता है।

*****